

# l Hkh i pk; r@i pk; r l fefr@ftyk i fj"kn- di ; k /; ku na !

jkT; ds vfrfjDr i kFkfed LokLF; dlnz ds l pkyu ds l ca/k ea A

राज्य के अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को संचालन करने से संबंधित निविदा, दिनांक 24.10.2007 को समाचार पत्रों में प्रकाशित की गयी थी। इसमें यह प्रावधान है कि जो भी संस्था अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र चलाने को इच्छुक होगी उसे एक निर्धारित राशि प्रति माह दी जायेगी और उसके एवज में चिकित्सकों/कर्मचारियों को नियुक्त कर रखने से लेकर दवा आदि की व्यवस्थाएँ करनी होगी जिसकी विवरणी उस निविदा में अंकित की गई थी। पंचायतों/पंचायत समितियों/जिला परिषदों से अनुरोध है कि यदि उन्हें राज्य के अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के उपरोक्त अनुसार संचालन में रूचि हो तो राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार के वेबसाइट [www.biharsa.gov.in](http://www.biharsa.gov.in) में दिये गये परियोजना का अध्ययन कर, समिति में ससमय आवेदन भेजें।

पंचायती राज के उपरोक्त संस्थाओं के लिए न्यूनतम मापदंड, प्रतिवर्ष बिक्री, स्वास्थ्य के क्षेत्र में अनुभव एवं बैंक गारंटी की आवश्यकता नहीं है।

पंचायतों के लिए निविदा की अंतिम तिथि 30 नवम्बर 2007 के अपराहन 5.00 बजे तक निर्धारित है।

dk; i kyd funs' kd